संख्या-372/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ: दिनांक:14 मार्च, 2024

विषयः- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के बाँधों/जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु आवंटित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4329/नेडा-एसई-फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट/2023 दिनांक 08-11-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के बाँधों/जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु आवंटित किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:-

1. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए प्रदेश के 35 बाँधों/जलाशयों को चिन्हित किया गया है, जिसका विवरण संलग्न है।
2. उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के बाँधो/जलाशयों पर प्री-फिजिबिलटी स्टडी के लिए अधिकृत किया जाता है।
3. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु बाँधो/जलाशयों के आवंटन हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-
   (i) अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन - अध्यक्ष
   (ii) अपर मुख्य सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य
   अथवा
   उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव से अनिम्न हो
   (iii) प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 - सदस्य

शासन,

अथवा

उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव से अनिम्न हो

(iv) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम - सदस्य

(v) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी - सदस्य

अथवा

उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी

(vi) संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग - सदस्य

(vii) निदेशक, उ0प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण - सदस्य सचिव

4. बॉधों/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने हेतु बॉधों/जलाशयों का आवंटन निजी क्षेत्र के निवेशकों को रू. 15000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की लीज रेन्ट पर तथा सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष लीज रेन्ट की दर से 30 वर्षो हेतु सिंचाई विभाग द्वारा बॉधों/जलाशयों का आवंटन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को किया जायेगा।

5. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा आवंटित बॉधों/जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उपलब्ध कराया जायेगा। यू०पी० नेडा द्वारा बॉधों/जलाशयों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु निवेशकों को उपलब्ध कराया जायेगा। निवेशक के साथ यू०पी० नेडा द्वारा लीज डीड हस्ताक्षरित की जायेगी। लीज अहस्तान्तरणीय (Non Transferrable) होगी एवं जलाशय का प्रयोग अनुमोदित परियोजना के लिए किया जायेगा। जलाशय का आवंटन प्रथम आवक एवं प्रथम पावक के आधार पर लीज पर किया जायेगा। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद तीन माह के अन्दर निवेशक द्वारा जलाशय के ऊपर से सभी उपकरण/निर्माण आदि हटाकर उसका कब्जा यू०पी० नेडा को वापस कर दिया जायेगा।

6. प्रत्येक निवेशकर्ता द्वारा लीज रेन्ट की धनराशि यू०पी० नेडा के खाते में जमा की जायेगी एवं यू०पी० नेडा द्वारा इस सम्पूर्ण धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। यू०पी० नेडा द्वारा इसका सम्पूर्ण लेखा विवरण सुरक्षित रखा जायेगा। निवेशक द्वारा वार्षिक लीज रेन्ट नियमित रूप से अग्रिम के रूप में यू०पी० नेडा में जमा किया जायेगा।

7. जलाशय/बांध के आबंटन के दो माह के अन्दर यदि मौके पर परियोजना के निर्माण/स्थापना की कार्यवाही निवेशक द्वारा आरम्भ नहीं की जाती है तो उस

दशा में उक्त निवेशक को यू०पी० नेडा द्वारा एक सुनवाई का अवसर देकर उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त लीज निरस्त कर दी जायेगी।

8. बॉधों/जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना कराये जाने से यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी भरपाई संबंधित संस्था द्वारा की जायेगी।
9. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए चिन्हित बॉधों/जलाशयों को यदि किसी अन्य कार्य के लिए आवंटित किया जाता है तो इस संबंध में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अनापत्ति अपेक्षित होगी।
10. जलाशय/बाँध में अधिकतम क्षेत्र का आंकलन driest month एवं driest day के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। तद्नुसार फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का टेक्निकल एवं जियोग्राफिकल पोटेनशियल का आंकलन सम्बन्धित विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा तथा उक्त आंकलन के आधार पर अधिकतम क्षमता तथा निर्धारित क्षेत्रफल का आंकलन करते हुए परियोजना हेतु जल क्षेत्र एवं स्थल निर्धारित किया जायेगा।
11. बांध/जलाशय के निर्धारित स्थल एवं क्षेत्रफल से ज्यादा कोई कार्य विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं किया जायेगा तथा समस्त जल एवं जल क्षेत्र का समस्त स्वामित्व सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का ही रहेगा।
12. कार्यदायी संस्था/विकासकर्ता को जलाशय/बाँध पर परियोजना की स्थापना हेतु GAD/Detailed Drawing इत्यादि, सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराते हुए शासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। GAD/Detailed Drawing में अनुमोदनोपरान्त कोई विचलन नहीं किया जायेगा।
13. प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन संचालन से बांध के प्राकृतिक स्वरूप, तटीय स्थिति एवं जल/ पेयजल की गुणवत्ता, निर्मलता/अविरलता, जलीय जीव-जन्तु व वनस्पति, पारिस्थितिकी आदि पर प्रतिकूल प्रभाव न हो।
14. बांध/जलाशय की संरचना में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
15. परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था को प्राप्त करनी होगी। पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई भी विपरीत आदेश किसी भी स्तर से पारित होने पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
16. बांधों में मत्स्य पालन किया जाता है, जिसका पूर्ण स्वामित्य मत्स्य निगम/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का है। परियोजना की स्थापना/क्रियान्वयन से मत्स्य पालन में होने वाली किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति, विकासकर्ता/ कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

17. जलाशय/बांध में आने वाली बाढ़ अथवा किसी भी मानवीय त्रुटि अथवा दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान का उत्तरदायित्व सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा।
18. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बांध के संचालन में बाधक नहीं बनेगा। इसका पूर्ण ध्यान रखा जायेगा। किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर कार्यस्थल बदलना होगा तथा बांध के निर्माण/अनुरक्षण हेतु आवश्यकता पड़ने पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को स्वयं के व्यय पर हटाना/पुनर्स्थापित करना होगा। इस हेतु कोई भी क्लेम सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं दिया जायेगा।
19. जिस तिथि को कार्य/क्षेत्र आवंटन किया जायेगा, उससे 01 वर्ष के उपरान्त अथवा सोलर पावर प्लांट के क्रियान्वयन होने की तिथि, उक्त में से जो पहले हो, उस तिथि से विकासकर्ता/कार्यदायी संस्था द्वारा जल क्षेत्र के उपयोग हेतु शासन द्वारा निर्धारित रायल्टी एवं चार्जेज देय होंगे।
20. परियोजना के क्रियान्वयन / स्थापना हेतु न्यूनतम भूमि का आवंटन शासन स्तर से निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त भूमि का उपयोग सोलर पावर प्लांट के क्रियान्वयन/ स्थापना तक ही किया जायेगा। भूमि का अन्य उपयोग किया जाना पूर्णतः निषेध होगा।
21. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से मिलने वाले कार्बन क्रेडिट इनपुट का अधिकार सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का होगा।
22. कार्यदायी संस्था द्वारा प्राकृतिक सम्पदा, भूमि, जलवायु, वन, जल, वायु, वन्य जीव, वनस्पति, पर्यावरण, पारस्थितिकी आदि सम्बन्धी अधिनियम/शासकीय आदेशों/निर्देशों/ मा० उच्च न्यायालय/मा० सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों तथा सुसंगत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
23. कार्यदायी संस्था द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के विचलन किये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इससे उत्पन्न किसी भी विषम परिस्थिति/जटिलता के लिये कार्यदायी संस्था स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगी।

2- उपरोक्त निर्णय के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-312(1)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 एवं तद् दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
6. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
9. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-4/3/7/2024-सी0एक्स0 (1) दिनांक 14 मार्च 2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए चिन्हित प्रदेश के 35 बाँधों/जलाशयों का विवरण

क्रम सं0	बाँधों/जलाशयों का नाम	जनपद
1.	सपरार बाँध	झांसी
2.	बरवा सागर बाँध	झांसी
3.	पथराई बाँध	झांसी
4.	डोंगरी बाँध	झांसी
5.	गढ़मऊ जलाशय (झील)	झांसी
6.	पाहुज बाँध	झांसी
7.	परीछा बाँध	झांसी
8.	ढुकवां बाँध	झांसी
9.	बड़वार झील	झांसी
10.	माताटीला बाँध	ललितपुर
11.	सजनाम बाँध	ललितपुर
12.	गोविन्द सागर बाँध	ललितपुर
13.	जामिनी बाँध	ललितपुर
14.	शहजाद बाँध	ललितपुर
15.	अर्जुन बाँध	महोबा
16.	बेलासागर बाँध	महोबा
17.	पहाड़ी बाँध	झांसी
18.	मौदहा बाँध	हमीरपुर
19.	लहचौरा बाँध	हमीरपुर
20.	चन्द्रावल बाँध	महोबा
21.	कबरई बाँध	महोबा
22.	ओहान बाँध	चित्रकूट
23.	बरूआ बाँध	चित्रकूट
24.	गुन्टा बाँध	चित्रकूट
25.	मझगवा बाँध	हमीरपुर
26.	ऊपर खजोरी बाँध	मिर्जापुर
27.	मूसाखण्ड बाँध	चकिया चन्दोली
28.	लतीफशाह बाँध	चकिया चन्दोली
29.	धदरौल बाँध	रार्वट्सगंज, सोनभद्र
30.	अदवा बाँध	मिर्जापुर
31.	रिहन्द बाँध	रेनुकूट सोनभद्र
32.	ओबरा बाँध	रार्वट्सगंज, सोनभद्र
33.	कन्हार बाँध	रार्वट्सगंज, सोनभद्र
34.	कालागढ़ बाँध	पौड़ी
35.	राजघाट बाँध	ललितपुर